

SCIENTIFIC COOPERATION

**Agreement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDIA**

Signed at New Delhi July 20, 2009



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“. . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

INDIA

Scientific Cooperation

*Agreement signed at New Delhi July 20, 2009;
Entered into force July 20, 2009.*

**Agreement
Between
the Government of the United States of America
and
the Government of the Republic of India
to Establish a Board and an Endowment for Joint Research and
Development, Innovation, Entrepreneurial and
Commercialization Activities in Science and Technology**

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of India (hereinafter the "Parties"),

Convinced that joint research and development (R&D) in science and technology (S&T), the application of the results of such R&D for the promotion of entrepreneurship and commercialization, and a competitive legal and policy environment are important stimulators of S&T capacity building, contributing to economic growth, increasing opportunities for job creation, and improving the quality of life,

Desiring to strengthen and expand S&T cooperation for the public good through S&T research and development and related entrepreneurial activities that develop sustained partnerships between U.S. and Indian scientists and entrepreneurs,

Desiring also to implement a program of such partnerships that substantiates the aims and objectives of the Agreement on Science and Technology Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of India signed at Washington October 17, 2005 (hereinafter "S&T Agreement"),

Have agreed as follows:

Article I

United States – India Science and Technology Endowment Board

1. The Parties hereby establish the United States – India Science and Technology Endowment Board (hereinafter the “Board”), in order to facilitate the unique and expanding role of S&T cooperation between the Parties.
2. The objective of the Board will be to provide funding for joint U.S.-India projects in S&T research and development, and related entrepreneurial activities intended to lead to the commercialization of R&D, for the mutual benefit of both countries.
3. This Agreement shall be governed by the S&T Agreement.

Article II

Relationship between the Board and Joint Committee

1. The Board shall solicit on a regular basis the strategic advice of the Joint Committee established under Article VI(1) of the S&T Agreement (hereinafter, the “Joint Committee”). The Board also may receive unsolicited advice from the Joint Committee, as appropriate.
2. The Board shall provide an annual report to the Joint Committee that describes the Board’s activities for the previous year and may provide advice to the Joint Committee.
3. Notwithstanding Article VI of the S&T Agreement and pursuant to Article IV(4) of the same Agreement, the Board shall be the final authority on all matters under this Agreement, including all decisions taken pursuant to this Agreement. The functions of the Joint Committee described in this Article shall constitute the extent of the Joint Committee’s relationship with the Board.

Article III

Governance

1. The Board may be registered under the relevant national law to the extent that the Parties determine it to be necessary to carry out the functions described in this Agreement.
2. The Board shall be composed of eighteen members with equal U.S. and Indian representation. Each Party shall select its members on the basis of such members’ interest and experience in past, present, and future S&T activities in India. Of the nine members selected by each Party, five shall be government representatives, including from government agencies

administering programs which may be supported in whole or in part by the Endowment. Pursuant to a transparent process, the remaining members shall be selected from the academic, non-profit, and private business sector communities. Board members shall hold office without compensation and at the pleasure of the Party by which they were appointed but may not serve more than four years consecutively.

3. Each Party shall appoint a Co-Chair from its nine members, who shall be an official of the government of that Party. Co-Chairs shall serve in that capacity at the pleasure of the Party by which they were appointed but may not serve more than four years consecutively. The Co-Chairs shall conduct Board meetings, direct the activities of the Board, and ensure that decisions of the Board are carried out.
4. The Board shall appoint an Executive Secretary, who may be selected from outside its membership on the Board, to provide organizational and technical support for ongoing work of the Board, which may include, but is not limited to, facilitating Board meetings and communications among Board members, organizing the peer review process and disbursement of grants as instructed by the Board, and engaging in any other work assigned by the Board consistent with this Agreement. Subject to the approval of the Board and the availability of resources, the Executive Secretary may hire additional staff to carry out these administrative functions.
5. Meetings of the Board shall occur annually, and may be held by video- or tele-conference. Upon agreement of the Parties, Board meetings also may be held in the United States or India, striving to alternate between the two countries when practicable. The host country is to bear organizational expenses for holding meetings of the Board. No endowment funds may be used to cover travel or living expenses of Board members or agency representatives related to meetings of the Board.
6. A quorum shall be achieved at a meeting of the Board when at least five of the designated members of the Board from each Party are present at the meeting, as long as the majority of each Party's attending members are governmental representatives and at least one of each Party's attending members is a non-governmental representative. All Board decisions require a quorum.
7. The Board shall strive to make all decisions by consensus. In the event that consensus is not possible, decisions shall be made on the basis of a two-thirds majority of the members of each Party present and voting, provided that the two-thirds majority includes the affirmative vote of at least one non-governmental representative of each Party.

Article IV Project Proposal Process

The Board shall establish procedures and criteria consistent with this Agreement for the request, evaluation, selection and administration of joint U.S.-India projects in S&T research and development, and related entrepreneurial activities intended to lead to the commercialization of R&D results. To this end:

- (1) In developing such procedures and criteria, the Board shall bear in mind the importance, as appropriate, of selecting financially promising joint U.S.-Indian entrepreneurial initiatives from the public and private sectors that focus on applied R&D, incorporate business plans and proof of commercial concept, and have significant commercial potential; periodically reviewing progress of joint technology activities supported by endowment grants; promoting and advocating science and technology policies, particularly intellectual property rights, to help create and maintain a pro-competitive environment that allows successful partnerships in innovation; selecting, supporting financially, and publicizing outstanding Indian student technology entrepreneurs and innovators; and demonstrating, through granting financial support to entrepreneurship and innovation partnerships between U.S. and Indian public and private entities, how high technology partnerships and the application of U.S. best business practices could have significant impact on economic development and benefit the public.
- (2) The Board shall direct the Executive Secretary to develop requests for proposals consistent with the criteria issued by the Board. In formulating such criteria, the Board shall address the scope of the request, minimum administrative submission requirements, and any other issues deemed relevant by the Board, and shall endeavor to provide for a fair and equitable competition among comparable entities.
- (3) On a periodic basis, the Board shall direct the Executive Secretary to issue a request for joint proposals from the governmental agencies and the non-governmental S&T communities of the Parties. The proposal process shall be open, but not limited, to collaborating scientists from U.S. and Indian institutes, universities, societies, private sector research and development centers, and governmental agencies, as well as to individual U.S. and Indian scientists.
- (4) Upon receipt of a proposal, the Executive Secretary shall determine whether the proposal meets the minimum administrative submission requirements specified in the request for proposals and make any other determination as directed by the Board. The Executive Secretary shall distribute all qualifying proposals to the peer review process, as developed pursuant to paragraph 5 of this

Article. If a proposal fails to meet the minimum administrative submission requirements, the Executive Secretary shall return the non-compliant proposal to the applicant(s). Applicant(s), as a general rule, shall be offered only one opportunity to revise and resubmit such a proposal. In order for a revised proposal to be considered during the same submission cycle, it should be resubmitted in a timely fashion.

- (5) The Board shall establish a clearly specified, transparent peer review process to assess the scientific and technical merit, and commercial potential, of submitted proposals, through contract or other arrangement, as appropriate, that engages the relevant subject matter experts from government agencies, the scientific community or the private sector. Taking into account any advice from relevant U.S. and Indian governmental agencies, the Board shall develop peer review process procedures that provide for confidentiality of proprietary information in the proposals and confidentiality of reviewer assignments, that avoid all conflicts of interest, and that result in a final product from each review competition that consists of a written critique and summary of discussion for each application and a priority score or rank in relation to the other proposals reviewed. The Board shall make written critiques available to all applicants, whether successful or unsuccessful, subject to the confidentiality procedures developed pursuant to this paragraph and any applicable U.S. and Indian laws and regulations. Any costs incurred in the peer review of proposals shall be part of the administrative expenses of the Board.
- (6) The Board shall evaluate the results of the peer review process according to the publicly accessible selection criteria developed by it to decide which proposals to fund, the appropriate level of funding, the duration of the award, the time-table of fund allocation for multi-year awards, any reporting or audit requirements that must be met for the actual transfer of funding, and any other matters deemed relevant by the Board. There shall be a presumption to fund those proposals ranked highly in both the U.S. and Indian peer review processes. However, the Board may consider other factors in making its final funding decisions, including priority area focus, program balance, budget appropriateness, and the uniqueness of the opportunity provided by a given proposal, keeping in mind that the assessment of scientific and technical merit, commercial potential, and the proposal's potential to further develop scientific and technological capacity and have an economic impact shall be the primary factors upon which funding shall be based.

**Article V
Financing**

1. The United States shall contribute 675,000,000 INR from the following sources to create an Endowment:
 - (a) The remainder of the so-called "Regular Fund," established upon conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of India on Educational, Cultural, and Scientific Cooperation, signed at New Delhi, January 7, 1987 (the "USIF Agreement"); and
 - (b) Additional funds from so-called "Interim Fund," composed of the interest earned between the time the Regular Fund funds were appropriated by the U.S. Congress and the conclusion of the USIF Agreement.
2. The Government of India shall contribute to the Board each year an amount equivalent to (a) the annual interest earned on the Endowment on a semi-annual basis and (b) any of the Endowment's principal to be expended by the Board in accordance with paragraph 3 of this Article.
3. Each year, to fund grants the Board may use (a) the annual interest on the Endowment; (b) up to five percent of the Endowment's principal; and (c) the matching annual contribution or contributions by the Government of India as described in paragraph 2 of this Article.
4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, the Board may use a minimal fraction of the annual interest earned on the Endowment to cover administrative expenses, whether they occur in India, the United States or elsewhere, of executing its functions under this Agreement, which may include, but are not limited to, expenses relating to managing the Endowment, conducting the peer review process, and hiring the Executive Secretary and any staff thereunder. The Board shall determine the precise cap on administrative expenses in its operational procedures.
5. The Board shall develop an appropriate mechanism for managing and investing the Endowment.

**Article VI
Intellectual Property and Business Confidential Information**

1. As provided for in Article I(3) of this Agreement, provisions for the protection of business confidential information and the protection and distribution of intellectual property created or furnished in the course of activities under this Agreement are incorporated from Annex I of the S&T Agreement.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article and pursuant to paragraph II.A of Annex I of the S&T Agreement, the Board may develop

alternative arrangements for the allocation of rights to intellectual property created by non-governmental entities that have submitted project proposals directly to the Board.

3. Any alternative arrangement developed by the Board in accordance with paragraph 2 of this Article shall include terms under which non-governmental entities grant to each Party:
 - (a) a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from grants awarded to such non-governmental entities by the Board; and
 - (b) a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to practice or have practiced inventions by or on behalf of the Party for research or other government purposes.

Article VII Qualifications and Restrictions

1. Activities under this Agreement shall be subject to the laws and regulations of each country.
2. Nothing in this Agreement shall be construed to prejudice or in any way supersede or alter other arrangements for cooperation between the two countries. The Parties shall use their best efforts to ensure compatibility between the operation of this Agreement and other such agreements. The Board shall neither sponsor, nor permit under its auspices, any activity that would be proscribed by either Party's national laws, regulations or policies.

Article VIII Review of Board Performance

The Parties, or an entity designated by the Parties, shall review the performance of the Board periodically, but at least every four years, commencing one year after the entry into force of this Agreement.

Article IX Working and Reporting Languages

The working language of meetings of the Board shall be English. Decisions of the Board shall be in writing, publicly available, and recorded in English.

Article X
Entry into Force, Termination and Amendments

1. This Agreement shall enter into force upon signature of both Parties and shall remain in force for a period of ten years. It shall be extended automatically for successive periods of ten years unless either Party provides six months advance written notification to the other Party that it objects to such an automatic extension.
2. This Agreement may be terminated at any time by either Party upon six months written notice to the other Party.
3. In the event of termination, any remaining assets shall be disposed of according to the percentage of assets provided by each Party to the Endowment.
4. The Agreement may be amended at any time by mutual written agreement of the Parties.

DONE at New Delhi, in duplicate, this twentieth day of July 2009, in the English and Hindi languages, both the texts being equally authentic. In case of ambiguity, the English language version takes precedence.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:

FOR THE GOVERNMENT OF
INDIA:

Hillary Rodham Clinton

Arun Jaitley

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार
और
भारत गणराज्य की सरकार
के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास, नई खोज, उद्यमशीलता
तथा
वाणिज्यीकरण गतिविधियों के लिए बोर्ड एवं निधि की स्थापना हेतु करार

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें आगे "पक्ष" कहा जाएगा),

सहमत हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), उद्यमशीलता व वाणिज्यीकरण के प्रोत्साहन के लिए ऐसे अनुसंधान एवं विकास के परिणामों को लागू करने, और एक स्पर्धात्मक कानूनी तथा नीतिगत वातावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्षमता बनाने, आर्थिक वृद्धि रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक हैं,

जनोपयोग के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत बनाने और विस्तार करने की आकांक्षा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास तथा संबंधित उद्यमशील गतिविधियों के द्वारा जो अमेरिका और भारत के वैज्ञानिकों एवं उद्यमियों के बीच सतत भागीदारी को विकसित करती हैं,

ऐसे साझेदारी कार्यक्रम को लागू करने जो उस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करता है, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच वाशिंगटन में 17 अक्टूबर, 2005 को करार पर हस्ताक्षर हुए थे, (जिसे इसके आगे "एस एंड टी करार" कहा गया है),

निम्नलिखित पर सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद I

अमेरिका-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निधि बोर्ड

1. दोनों पक्ष अमेरिका-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निधि बोर्ड (इसे आगे "बोर्ड" कहा गया है) की स्थापना करेंगे जिससे कि दोनों पक्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की अद्वितीय और विस्तृत भूमिका निभाई जा सके।
2. बोर्ड का उद्देश्य अमेरिका-भारत की संयुक्त परियोजनाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास तथा संबंधित उद्यमशील गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना जिनका लक्ष्य दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए अनुसंधान और विकास का वाणिज्यीकरण करना है।
3. यह करार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार द्वारा निर्देशित होगा।

अनुच्छेद II

बोर्ड और संयुक्त समिति के बीच संबंध

1. बोर्ड नियमित आधार पर एस एंड टी करार के अनुच्छेद VI (1) (इसके आगे "संयुक्त समिति" कहा गया है) के अंतर्गत स्थापित संयुक्त समिति की नीतिगत सलाह मांगेगा। बोर्ड संयुक्त समिति से, जैसाकि उचित होगा, अयाचित सलाह भी प्राप्त कर सकता है।
2. बोर्ड संयुक्त समिति को वार्षिक रिपोर्ट देगा जिसमें पहले के वर्ष की बोर्ड की गतिविधियों का वर्णन किया जाएगा और संयुक्त समिति के लिए सलाह भी दी जा सकती है।
3. एस एंड टी करार के अनुच्छेद VI और अनुच्छेद IV के (4) इसी करार के अनुसरण के बावजूद इस करार के अंतर्गत सभी निर्णय लेने सहित सभी मामलों में बोर्ड अंतिम प्राधिकारी होगा। इस अनुच्छेद में वर्णित संयुक्त समिति के कार्य, संयुक्त समिति के बोर्ड के साथ संबंधों को तय करेंगे।

अनुच्छेद III

संचालन

1. इस करार में वर्णित कार्यों को पूरा करने के लिए, यदि पक्ष आवश्यक समझते हैं तोए बोर्ड को संबंधित राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत पंजीकृत कराया जा सकता है।
2. बोर्ड में अठारह सदस्य होंगे जिसमें अमेरिका और भारत के समान प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक पक्ष अपने सदस्यों का चयन भारत में अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की एस एंड टी गतिविधियों में इन सदस्यों की रुचि और अनुभव के आधार पर करेंगे। प्रत्येक पक्ष द्वारा चयनित नौ सदस्यों में पांच सरकारी प्रतिनिधि होंगे जो कार्यक्रमों का प्रबंध करने वाली सरकारी उन सरकारी एजेंसियां के भी हो सकते हैं जिन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप से निधि द्वारा सहयोग मिल रहा हो। एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाने हेतु शेष सदस्यों का चयन अकादमिक, गैर-लाभकारी और निजी व्यापारिक क्षेत्रों से किया जाएगा। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से और पक्ष की इच्छा से जिसके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया है, कार्य करेंगे, लेकिन लगातार चार वर्ष से अधिक नहीं।
3. प्रत्येक पक्ष अपने नौ सदस्यों में से एक को सहअध्यक्ष नियुक्त करेगा, जो उस पक्ष का सरकारी अधिकारी

होगा। सहअध्यक्ष उस पक्ष की इच्छानुसार कार्य करेगा जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया है लेकिन लगातार चार वर्ष से अधिक नहीं करेगा। सहअध्यक्ष बोर्ड की बैठकें आयोजित करेगा, बोर्ड की गतिविधियों को निर्देशित करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के निर्णयों का अनुपालन किया गया है।

4. बोर्ड एक कार्यकारी सचिव की नियुक्ति करेगा, जिसका चयन बोर्ड की सदस्यता के बाहर से किया जा सकता है, यह बोर्ड के चल रहे कार्यों के लिए संगठनात्मक और तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा, जिसमें बोर्ड की बैठकों को आयोजित करना और बोर्ड के सदस्यों के बीच संप्रेषण, समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया का प्रबंध और बोर्ड द्वारा निर्देशित सहायता राशि का वितरण, और इस करार के अनुसार बोर्ड के द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यों को करना सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। बोर्ड की स्वीकृति पर और संसाधनों की उपलब्धता पर कार्यकारी सचिव इन प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को रख सकता है।
5. बोर्ड की बैठकें वार्षिक रूप से आयोजित की जाएंगी और यह वीडियो या टेली-कांफ्रेंस के द्वारा भी हो सकती हैं। पक्षों की सहमति से बोर्ड की बैठकें व्यावहारिक होने पर दोनों देशों के बीच क्रमानुसार, अमेरिका या भारत में भी आयोजित की जा सकती हैं। मेजबान देश बोर्ड की बैठकों के आयोजन में होने वाले खर्च को वहन करेगा। बोर्ड के सदस्यों या एजेंसी के प्रतिनिधियों को बोर्ड की बैठकों संबंधी यात्रा या रहने के खर्च के लिए निधि के धन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
6. बोर्ड बैठक का कोरम तब पूरा माना जाएगा जब प्रत्येक पक्ष से बोर्ड के कम से कम पांच मनोनीत सदस्य बैठक में उपस्थित हों, यदि प्रत्येक पक्ष के उपस्थित सदस्यों का बहुमत सरकारी प्रतिनिधियों का हो और प्रत्येक पक्ष के उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक गैर सरकारी प्रतिनिधि हो। बोर्ड के सभी निर्णयों के लिए कोरम पूरा होना आवश्यक है।
7. बोर्ड सभी निर्णयों को सहमति से करने का प्रयास करेगा। सहमति न बन पाने की स्थिति में निर्णय प्रत्येक पक्ष के उपस्थित और डाले गए मतों के दो-तिहाई बहुमत के आधार पर किए जाएंगे, बशर्ते कि दो-तिहाई बहुमत में प्रत्येक पक्ष के कम से कम एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि का सकारात्मक मत सम्मिलित है।

अनुच्छेद IV परियोजना प्रस्ताव प्रक्रिया

बोर्ड इस करार के अनुरूप एस एंड टी अनुसंधान और विकास में अमेरिका-भारत की संयुक्त परियोजनाओं के अनुरोध, मूल्यांकन, चयन और संचालन, तथा आर एंड डी के परिणामों के वाणिज्यीकरण के उद्देश्य वाली संबंधित उद्यमशील गतिविधियों के लिए प्रक्रियाओं और मापदंडों की स्थापना करेगा। इसके लिए :

- (1) इन प्रक्रियाओं और मापदंडों को बनाने में बोर्ड इस प्रकार के महत्व को यथोचित ध्यान में रखेगा, जैसे सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की अमेरिका और भारत की वित्तीय रूप से आशाजनक संयुक्त उद्यमशील योजनाओं का चयन जो आर एंड डी पर केंद्रित हैं, व्यापारिक योजनाओं और वाणिज्यिक अवधारणा के साक्ष्यों को सम्मिलित करना, और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संभावना रखना; निधि सहायता से नियतकालिक चलने वाली संयुक्त प्रौद्योगिकी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियों को प्रोत्साहन देना और समर्थन करना, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा के अधिकारों की, स्पर्धा समर्थक वातावरण पैदा करने और उसे बनाए रखने जो कि नई खोजों में सफल भागीदारी की अनुमति देता है; वित्तीय रूप से सहायता देने, और उत्कृष्ट भारतीय छात्र प्रौद्योगिकी उद्यमियों और अन्वेषकों को प्रचारित करना, और उद्यमिता को वित्तीय सहायता के

माध्यम से तथा अमेरिका और भारतीय सार्वजनिक व निजी संस्थाओं के बीच अन्वेषण भागीदारी का प्रदर्शन करना, किस प्रकार उच्च प्रौद्योगिकी भागीदारी और अमेरिका की श्रेष्ठ व्यापारिक नीति के उपयोग आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है तथा जनता को लाभ प्रदान कर सकता है।

- (2) बोर्ड कार्यकारी सचिव को अपने द्वारा जारी मापदंडों के अनुरूप प्रस्तावों के अनुरोध तैयार करने का निर्देश देगा। मापदंडों को तय करते समय बोर्ड ऐसे अनुरोधों के दायरे, न्यूनतम प्रशासनिक अनुदेश ज़रूरतें, और बोर्ड द्वारा प्रासंगिक समझे जाने वाले अन्य मुद्दों पर गौर करेगा, और तुलनात्मक एंटीटी के लिए निष्पक्ष और बराबरीपूर्ण प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।
- (3) बोर्ड नियतकालिक आधार पर कार्यकारी सचिव को सरकारी एजेंसियों और पक्षों से संबद्ध गैर-सरकारी विज्ञान एवं तकनीकी समुदायों से संयुक्त प्रस्तावों के अनुरोध जारी करने का निर्देश देगा। प्रस्तावों की प्रक्रिया अमेरिकी और भारतीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सोसायटियों, निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, सरकारी एजेंसियों के आपसी सहयोग करने वाले वैज्ञानिकों, और साथ ही वैयक्तिक स्तर पर अमेरिकी और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए खुली होगी लेकिन सीमित नहीं होगी।
- (4) प्रस्ताव की प्राप्ति पर, कार्यकारी सचिव यह तय करेगा कि क्या प्रस्ताव, प्रस्तावों के आग्रह में उल्लिखित न्यूनतम प्रशासनिक अनुदेश ज़रूरतों को पूरा करता है और बोर्ड के निर्देश के अनुरूप कोई अन्य निर्णय ले सकता है। कार्यकारी सचिव सभी योग्य प्रस्तावों को इस अनुच्छेद के पांचवें पैराग्राफ के मुताबिक विकसित समकक्षों द्वारा समीक्षा की प्रक्रिया के लिए वितरित करेगा। यदि कोई प्रस्ताव न्यूनतम प्रशासनिक अनुदेश ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहता है तो कार्यकारी सचिव ऐसे अनुपालन में असफल प्रस्ताव को आवेदक या आवेदकों को वापस करेगा। सामान्य नियम के तहत आवेदक या आवेदकों को अपने प्रस्तावों को संशोधित करने और फिर से प्रस्तुत करने के लिए सिर्फ एक अवसर मिलेगा। किसी भी संशोधित प्रस्ताव पर उसी प्रस्तुति चक्र में विचार के लिए उसे समयसीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (5) प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की वैज्ञानिक एवं तकनीकी गुणवत्ता और व्यावसायिक क्षमता का पता लगाने के लिए बोर्ड स्पष्ट तौर पर उल्लिखित पारदर्शी समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया स्थापित करेगा। ऐसा किसी अनुबंध या अन्य प्रक्रिया के जरिये, जैसा उचित होगा, किया जाएगा और इसमें सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिक समुदाय या निजी क्षेत्र के विषय से संबद्ध विशेषज्ञ होंगे। संबद्ध अमेरिकी और भारतीय सरकारी एजेंसियों के किसी भी परामर्श को ध्यान में रखते हुए बोर्ड समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया विकसित करेगा जिसमें प्रस्ताव की मालिकाना जानकारीयों, समीक्षा कार्यों को गोपनीय रखा जाएगा और जिसमें हितों के टकराव से बचा जाएगा, जो हरेक समीक्षा प्रतिस्पर्धा से ऐसे अंतिम उत्पाद को सामने लाएगी जिसमें लिखित समालोचना होगी और हरेक प्रस्ताव पर चर्चा का सारांश, और समीक्षा के दायरे में आए अन्य प्रस्तावों के मुकाबले इसकी प्राथमिकता या रैंक भी होगी। बोर्ड सभी आवेदकों को, चाहे वे सफल रहे हों या असफल, उन्हें लिखित समालोचना मुहैया कराएगा और ऐसा करते वक्त इस पैराग्राफ के अनुरूप विकसित गोपनीय प्रक्रियाओं और लागू होने वाले अमेरिकी और भारतीय कानून और नियमों का ध्यान रखा जाएगा। प्रस्तावों की समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया में होने वाला कोई भी खर्च बोर्ड के प्रशासनिक खर्च का हिस्सा होगा।
- (6) बोर्ड अपने द्वारा तय और सार्वजनिक तौर पर सुलभ चयन प्रक्रिया के मुताबिक समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया के नतीजों का आकलन कर किस प्रस्ताव को धन दिया जाएगा, कितना धन उपलब्ध कराया जाए, अवार्ड की अवधि, कई वर्षों के लिए दिए अवार्ड के लिए धन आबंटन की समयसूची,

धन के वास्तविक ट्रांसफर के लिए किसी ऑडिट या रिपोर्टिंग की ज़रूरत और बोर्ड द्वारा प्रासंगिक समझे जाने वाले किसी अन्य मुद्दे पर निर्णय लेगा। अनुमानतः यह माना जाएगा कि अमेरिकी और भारतीय समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया में ऊंची रैंक पाने वाले प्रस्तावों को धन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन बोर्ड धन उपलब्ध कराने का अंतिम फैसला लेने से पहले और भी कारकों पर विचार कर सकता है, जिनमें प्राथमिकता क्षेत्र पर फोकस, प्रोग्राम संतुलन, बजट का ठीक होना और किसी प्रस्ताव में अनूठे अवसर की मौजूदगी का होना शामिल है। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी योग्यता, व्यावसायिक क्षमता, प्रस्ताव में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को और ज्यादा विकसित करने और आर्थिक प्रभाव डालने की क्षमता ऐसे प्राथमिक कारक हैं जो धन उपलब्ध कराने के आधार होंगे।

अनुच्छेद V वित्त पोषण

1. निधि की स्थापना के लिए अमेरिका नीचे दिए स्रोतों से 675,000,000 रुपये (आई एन आर) का योगदान करेगा।
 - (a) अमेरिकी सरकार और भारत सरकार के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग के करार के संपन्न होने और नई दिल्ली में 7 जनवरी, 1987 को हस्ताक्षरित (यूएसआईएफ करार) करार के तहत स्थापित और कथित नियमित कोष के नाम से जाने जाने वाले फंड का शेष हिस्सा, और
 - (b) संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस द्वारा विनियोजित नियमित निधि तथा यूएसआईएफ करार के निर्णय के बीच के समय में अर्जित ब्याज से निर्मित तथाकथित "अंतरिम निधि" से अतिरिक्त निधि।
2. भारत सरकार प्रत्येक वर्ष (क) अर्ध-वार्षिक आधार पर स्थायी निधि पर अर्जित वार्षिक ब्याज तथा (ख) इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसार बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाने वाली किसी भी स्थायी निधि के मूलधान के बराबर धनराशि का अंशदान बोर्ड को देगी।
3. हर साल अनुदान के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड इस्तेमाल कर सकता है (क) निधि पर मिला वार्षिक ब्याज, (ख) निधि की मूल राशि के पांच प्रतिशत तक, और (ग) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ दो में हुए उल्लेख के अनुरूप भारत सरकार द्वारा बराबरी का वार्षिक योगदान या कई बार योगदान।
4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ तीन के बावजूद बोर्ड निधि पर मिले वार्षिक ब्याज का एक न्यूनतम हिस्सा करार के तहत अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए भारत, अमेरिका या अन्य कहीं होने वाले प्रशासनिक खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकता है जिसमें निधि के प्रबंधन, समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया के संचालन, और कार्यकारी सचिव और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों पर होने वाला खर्च शामिल है लेकिन सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। बोर्ड अपनी संचालन प्रक्रियाओं में प्रशासनिक खर्च की ऊपरी सीमा तय करेगा।
5. निधि के प्रबंधन और इसके निवेश के लिए बोर्ड उचित तंत्र का विकास करेगा।

अनुच्छेद VI

बौद्धिक संपदा और व्यावसायिक गोपनीय जानकारी

1. इस करार के अनुच्छेद I (3) के अनुरूप, व्यावसायिक गोपनीय जानकारी की सुरक्षा और इस करार के तहत की गई गतिविधियों के क्रम में तैयार या प्रस्तुत की गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और वितरण के प्रावधान एस एंड टी करार के अनुलग्नक I से दिए गए हैं।
2. इस अनुच्छेद के पहले पैराग्राफ के बावजूद एस एंड टी करार के अनुलग्नक I के पैराग्राफ II - ए के क्रम में बोर्ड गैर-सरकारी स्तर पर सीधे बोर्ड को भेजे गए परियोजना प्रस्तावों से तैयार बौद्धिक संपदा के अधिकारों के आबंटन को लेकर बोर्ड वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है।
3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ दो के अनुरूप बोर्ड द्वारा बनाई किसी वैकल्पिक व्यवस्था में वे शर्तें शामिल होंगी जिनके तहत गैरसरकारी एंटीटी प्रत्येक पक्ष को निम्नलिखित प्रदान करती है:
 - (a) बोर्ड द्वारा किसी गैरसरकारी एंटीटी को दिए गए अनुदान से तैयार वैज्ञानिक एवं तकनीकी जर्नल आलेख, रिपोर्ट और पुस्तकों के सभी देशों में अनुवाद, पुनः प्रस्तुत करने और सार्वजनिक रूप से वितरित करने का नॉन-एक्सक्लूसिव, अपरिवर्तनीय और रॉयल्टी मुक्त लाइसेंस और
 - (b) अनुसंधान वाले पक्ष द्वारा या उनकी ओर से या अन्य सरकारी उद्देश्य से आविष्कारों की प्रैक्टिस का सभी देशों के लिए नॉन-एक्सक्लूसिव, अपरिवर्तनीय और रॉयल्टी मुक्त लाइसेंस।

अनुच्छेद VII

योग्यताएं और प्रतिबंध

1. इस करार के तहत होने वाली गतिविधियों पर प्रत्येक देश के कानून और नियम लागू होंगे।
2. इस करार का कोई भी हिस्सा दोनों देशों के बीच सहयोगी अन्य व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या किसी भी तरह उनका स्थान नहीं लेगा या उनमें बदलाव नहीं करेगा। संबद्ध पक्ष इस करार और ऐसे और करार पर अमल में संगतता सुनिश्चित करने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। बोर्ड अपने तहत किसी भी ऐसी गतिविधि का प्रायोजन नहीं करेगा, न ही ऐसी गतिविधि की अनुमति देगा जो किसी भी पक्ष के राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और नीतियों के विरुद्ध हो।

अनुच्छेद VIII

बोर्ड के कार्य की समीक्षा

संबद्ध पक्ष और उनके द्वारा बनाई कोई एंटीटी आवधिक रूप बोर्ड के कामकाज की समीक्षा करेगी। ऐसा चार साल में कम से कम एक बार होगा और इसकी शुरुआत इस करार के लागू होने के एक साल बाद होगी।

अनुच्छेद IX
कामकाज और रिपोर्टिंग की भाषा

बोर्ड की बैठकों में कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। बोर्ड के निर्णय अंग्रेजी भाषा में लिखित में होंगे, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होंगे और उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा।

अनुच्छेद X
करार पर अमल, रद्द करना और संशोधन

1. यह करार दोनों पक्षों के हस्ताक्षरों के बाद अमल में आएगा और दस साल की अवधि तक लागू रहेगा। यह करार स्वतः ही आगे आने वाले दस साल की अवधि के लिए बढ़ जाएगा बशर्ते कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को छह माह अग्रिम में लिखित नोटिस देकर ऐसे स्वतः विस्तार पर आपत्ति न जताए।
2. यह करार किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छह महीने का लिखित नोटिस देकर कभी भी रद्द किया जा सकता है।
3. करार के रद्द होने पर शेष परिसंपत्तियां निधि में दोनों पक्षों द्वारा दिए योगदान के प्रतिशत के हिसाब से निपटवाई जाएंगी।
4. दोनों पक्षों के बीच परस्पर लिखित करार के जरिये इस करार को कभी भी संशोधित किया जा सकता है।

नई दिल्ली में जुलाई 2009 के बीसवें दिन दो प्रतियों में अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में संपन्न इस करार के दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को वरीयता दी जाएगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार
की ओर से



भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

